संख्या-2/2017/752/53-2-17-2(48)/2014

प्रेषक,

राज कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास उ0प्र0,
लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 23 जून, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदान में आयोजनेत्तर पक्ष में कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-125/वित्त सम्भाग-3/बजट, दिनांक- 26 मई, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान के माध्यम से दुग्ध विकास विभाग के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के लेखाशीर्षक ''6404-डेरी विकास के लिए कर्ज-आयोजनेत्तर-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-05-कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण-30-निवेश/ऋण'' मद में प्राविधानित धनराशि रू0 60.00 करोड़ के सापेक्ष पी0सी0डी0एफ0 के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु रू0 25.00 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) का ऋण पी0सी0डी0एफ0 को स्वीकृत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस मद हेतु दी जा रही है उसी मद में ही व्यय की जायेगी। इसका किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।
(2) धनराशि का आहरण कर इसे किसी बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
(3) स्वीकृत की जा रही ऋण की धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
(4) स्वीकृत की जा रही ऋण की धनराशि की अदायगी पी0सी0डी0एफ0 द्वारा अधिकतम 05 वर्षों के अन्दर एवं ब्याज सहित सुनिश्चित की जायेगी।
(5) ऋण की उक्त धनराशि पर 18.00 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।
(6) नियत समय पर ऋण/ब्याज का प्रतिदान/भुगतान करने की दशा में 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऋण/ब्याज का समय से प्रतिदान/भुगतान न होने पर अथवा कोई किश्त कालातीत होने पर ऋण की स्वीकृत आदेश में निर्धारित दर पर ब्याज देना होगा अर्थात् ब्याज दर में कोई छूट नहीं दी जायेगी।
(7) ऋण/ब्याज का समय से प्रतिदान/भुगतान करने में वितथ(डिफाल्ट) होने पर निर्धारित दर पर ही ब्याज देय होगा अर्थात ब्याज की दरों में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगा। ब्याज की दण्डात्मक दर मूलराशि और/अथवा ब्याज की अतिदेय किश्तों पर उसकी अदायगी की निश्चित तिथि से वास्तविक अदायगी की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि तक लागू रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

http://bhsanadesh.up.nic.in

(8) स्वीकृत ऋण पर देय ब्याज की गणना वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-एक के पैरा-225 में दिये गये निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02-/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत योजना/मद में पूर्व में अवमुक्त /स्वीकृत धनराशि से यदि कोई ब्याज अर्जित हुआ है, तो उसे निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व प्रशा0 वि0 का होगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदान में अनुदान संख्या-16 के लेखाशीर्षक **''6404-डेरी विकास के लिए कर्ज-आयोजनेत्तर-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-05-कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण-30-निवेश/ऋण''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-487/दस-2017, दिनांक-19 जून, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या-752(1)/53-2-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर, (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29 पार्करोड, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-3/नियोजन अनुभाग-3
8. मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।
9. आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।